न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 56 / **2022** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/63

श्रीमती राधी बाई पुत्री स्व. दोला डांगी पत्नी श्री डालचन्द जी डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

...........**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री मेघराज पिता दोला जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेडा, हाल खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री केसुलाल पिता दोला जी डांगी, निवासी मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री खेमराज पिता दोला जी डांगी, निवासी मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती उदी बाई पुत्री दोला जी पत्नी रामलाल जी डांगी, निवासी खरबडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती वरदी बाई पुत्री दोला जी पत्नी प्रभुलाल जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
6. श्रीमती तुलसी पुत्री दोला जी पत्नी गणेशलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

...........**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः 1. श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

आदेश

दिनांकः– 19/01/2026

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में अपीलाण्ट ने एक वाद बाबत वसीयत निरस्त कराने का पेश किया था परन्तु कथित वाद बाद में विड्रो कर लिया गया। राधीबाई ने उस वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील आप न्यायालय के समक्ष पेश की है परन्तु वसीयत को निरस्त कराने का वाद ही विड्रो कर लिया गया है ऐसी स्थिति में म्यूटेशन जो कि उसी वसीयत के आधार पर खोलकर स्वीकृत किया गया अब उसे चेलेन्ज नही किया जा सकता है तथा यह अपील इन्फ्रेक्चुअस हो चुकी है तथा इसी आधार पर इस अपील का निरस्त किया

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 56/22 अपील राजस्व
राधीबाई बनाम मेघराज
GCMS No. 2022/63

जाना आवश्यक है। उक्त जमीन बाबत राधीबाई ने एक रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र भी रेस्पोडेन्ट के हक में निष्पादित कर दिया जिससे भी यह अपील मेन्टीनेबल नही है तथा इसी आधार पर काबिल निरस्त है। अतः रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कथित अपील निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया कि उक्त अपील वसीयत के आधार पर किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः नामान्तकरण निरस्त करने के आदेश पारित किये जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2886 दिनांक 16.04.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी राधी बाई द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय में एक वाद 98/23 वसीयत को शून्य कराये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसे लोक अदालत की भावना से राजीनामा करते हुए विड्रो कर लिया गया है साथ ही अपीलाण्ट, श्री केशुलाल पिता स्व. दोला उर्फ दौलतराम डांगी एवं श्री खेमराज पिता स्व. श्री दोला जी डांगी द्वारा श्री मेघराज डांगी पिता स्व. दोला डांगी के पक्ष में दिनांक 01.11.2023 को हक त्याग भी कर दिया गया है जिसे अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा स्वीकार भी किया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा आपस में राजीनामा कर हक त्याग कर दिया गया है। अतः रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर